न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–34 / 2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. करणा पिता हजारी उर्फ हीरा, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खेड़ा, वीरान, प0ह0 कुशलगढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. ठम्मा पत्नी करणा गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी खेड़ा वीरान, प0ह0 कुशलगढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगणगण

विरूद्ध

1. ठम्मा बाई पत्नी लादु, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी नलीखेड़ा / खेड़ावीरान तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. लादु लाल पिता किशोर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी नलीखेड़ा / खेड़ावीरान तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

..........विपक्षीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित :– **श्री लेखराज सिंह**

अप्रार्थीगण की ओर से :– **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः– 24.06.2025

–:आदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा नली प0ह0 कुशलगढ़ तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 65 खसरा संख्या 298 कुल किता 01 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बीड़ भूमि प्रार्थीगण के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 298 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फ़सल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा नली प0ह0 कुशलगढ़ तहसी[illegible] 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 65 खसरा संख्या 298 कुल [illegible] रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बीड़ भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी [illegible] सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसा[illegible] जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी [illegible] कोई विवाद हो तो पुन न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस क[illegible]य को प्रस्तुत किया जावे कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थीगण से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.07.07 11:30:53 IST
Reason: SelfAttested